कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001
ई–मेल uit.sikar@rajatsthan.gov.in, फोन नं. 01572–252240

क्रमांकः– न.वि.न्या/नियमन/2022/396 दिनांकः– 07-02-22

प्रेषितीः–

1. **शैलेश कुमार पुत्र लालचन्द जाति जांगिड़ ब्राहम्ण नि. कोर्ट के सामने सीकर।**
2. **संजय कुमार पुत्र लालचन्द जाति जांगिड़ ब्राहम्ण नि. कोर्ट के सामने सीकर।**
3. **सीताराम पुत्र हरदेवाराम जाति जांगिड़ ब्राहम्ण नि. कोर्ट के सामने सीकर।**

विषयः– राजस्व ग्राम सबलपुरा तह. धोद के खसरा नम्बर 1266/1155 रकबा 0.2250 है., खसरा नम्बर 1264/1155 रकबा 0.4500 है. एवं खसरा नम्बर 1265/1155 रकबा 0.4500 है. कुल रकबा 11250 वर्गमीटर में से 11030.20 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) भूमि में लालजी विहार आवासीय योजना अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम सबलपुरा तह. धोद के खसरा नम्बर 1266/1155 रकबा 0.2250 है., खसरा नम्बर 1264/1155 रकबा 0.4500 है. एवं खसरा नम्बर 1265/1155 रकबा 0.4500 है. कुल रकबा 11030.20 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
5. योजना में पार्क को भवन विनियम 2020 के अनुसार ही विकसित करना होगा।
6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
7. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 45, 46 व 47) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintnance कि्रया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– योजना मानचित्र।

नगर विकास न्यास सीकर

(इन्द्रजीत सिंह RAS)
सचिव, नगर विकास न्यास
सीकर

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.1264/1155,1265/1155,1266/1155 OPP. CENTRAL SCHOOL, SABALPURA, SIKAR
REVENUE VILL. -SABALPURA, DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90-A AND RESIDENTIAL CONVERSION - LALJI VIHAR AAWASIYA COLONY
APPLICANT:- 1. SITARAM S/o HARDEVARAM 2.SHAILESH KUMAR S/o LALCHAND 3.SANJAY KUMAR S/o LALCHAND

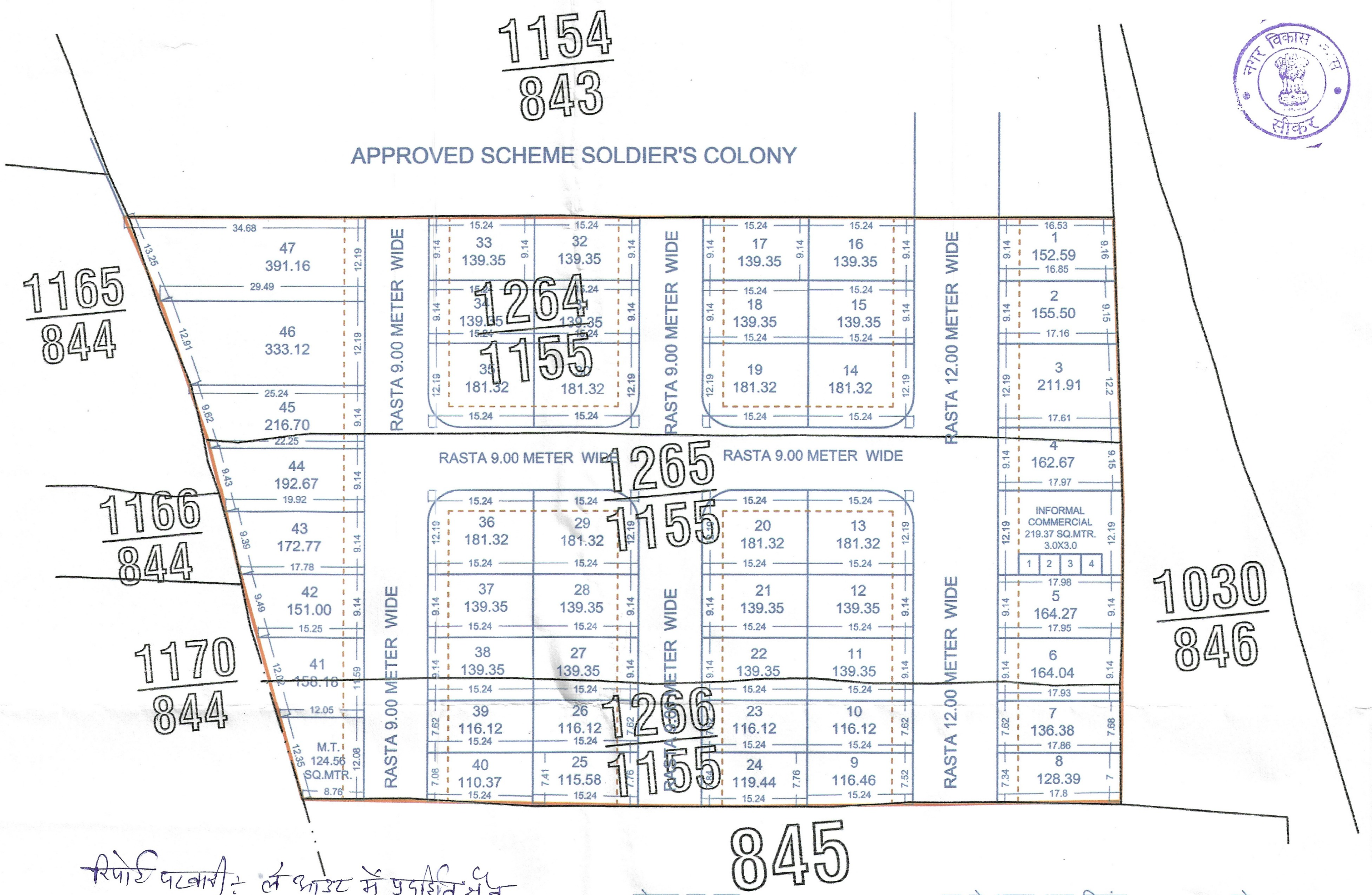

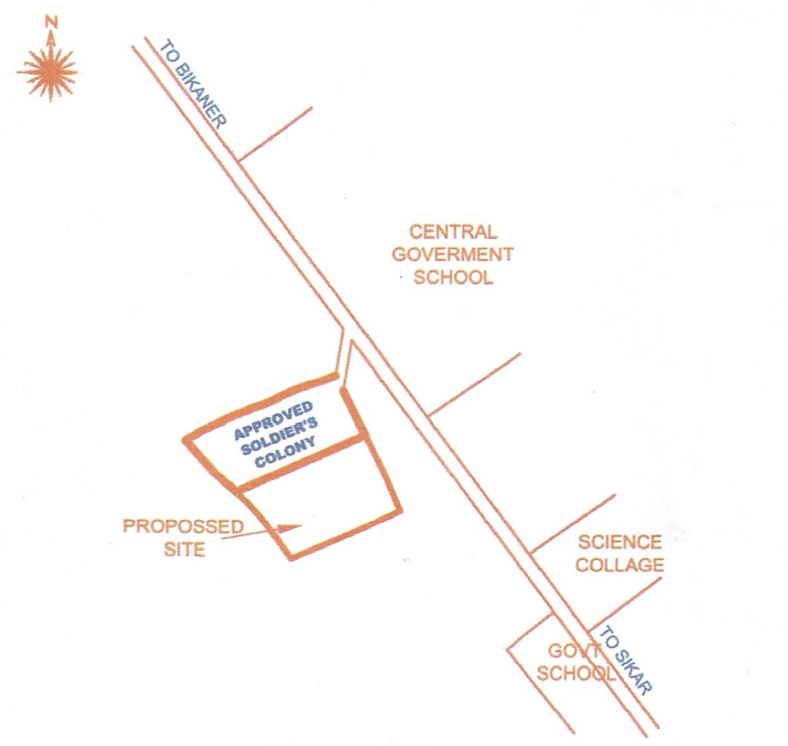

KEY-PLAN
Not To Scale

AREA ANALYSIS

S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	7498.03	67.98 %
2.	INFORMAL	219.37	01.99 %
3.	MOBILE TO.	124.56	01.13 %
4.	ROAD	3188.24	28.90%
	TOTAL	11030.20	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	47
3.	INFORMAL COMMERCIAL	1
4.	MOBILE TOWER	1

SCALE - 1CM =6 MTR.

— — —	SCHEME BOUNDARY
—— · · ——	KHASRA LINE
————	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SURVEYED BY
HOME ARCHITECT & SURVEYORS
1st, floor, Jangir Bhawan
Opp. court, Sikar
mo. 7891067650, 9928338794

रिपोर्ट पटवारी:- ले आउट में प्रदर्शित सेज्र ABCDA राजस्व नक्शा के लगभग अनुरूप है
पटवारी

योजना का नाम ....का ले–आउट आज दिनांक ....को
लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

18/01/2022 (मोहम्मद अज़हर जादू) उप नगर नियोजक	18-01-22 (श्रवण कुमार) अधिशाषी अभियन्ता नगर विकास न्यास, सीकर	इन्द्रजीत सिंह (RAS) सचिव नगर विकास न्यास, सीकर

TOTAL AREA FOR KHASRA NO. 1264/1155,1265/1155,1266/1155 = 11030.20 SQ. MTR